बिहार सरकार
भवन निर्माण विभग

का0आ0सं0-भवन/मु०अभि०(द०)स्था०समा०-02/2013.........293.............../ पटना, दिनांक-..29/11/17.../

कार्यालय आदेश

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-9681/2013 वृन्दा देवी वनाम राज्य सरकार में दिनांक-29.08.2016 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को दिनांक-22.09.2017 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में दिनांक-06.11.2017 को हुई विभागीय सम्परिवर्त्तन समिति की बैठक में वित्त विभाग के परामर्शानुसार लिए गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-3058(वि.) दिनांक-22.10.1984 एवं संकल्प संख्या-6394(वि.) दिनांक-23.10.1987 में विहित प्रावधानों/शर्त्तो के तहत् स्व0 श्याम सुन्दर तिवारी, कार्यभारित चौकीदार, भवन प्रमंडल, बांका के धारित पद को दिनांक-22.10.1984 के प्रभाव से नियमित स्थापना में सम्परिवर्त्तन किया जाता है।

2. स्व0 तिवारी को नियमित स्थापना में लेने पर उनके वेतन भत्ते पर व्यय हेतु संधारण इकाई में उपबंधित राशि, नियमित स्थापना के संबंधित बजट शीर्ष में हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-3525(वि.) दिनांक-31.03.1976 तथा 505(वि.) दिनांक-06.03.1980 के आलोक में स्व0 तिवारी को नियमित स्थापना में लिये जाने पर उनकी न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के बराबर कार्यभारित स्थापना में की गई सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(क) नियमित स्थापना में लिये गये स्व0 तिवारी को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में पाँच(5) वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवा अवधि में दोनो में से जो कम हो जोड़ दी जायेगी। ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवायें जोड़ी जायेगी उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी।

(ख) स्व0 तिवारी को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30/- रूपये जोड़कर पेंशन की राशि निर्धारित की जायेगी। वशर्त्ते अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणीत होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो।

ह0/-
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-
पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-
पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-22.09.2017 को हुई सचिवो की त्रिसदस्यीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव।

कृ.पृ.उ....

आई.टी. मैनेजर

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका/श्रीमती वृन्दा देवी, पत्नी-स्व0 श्याम सुन्दर तिवारी, चौकीदार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 10640 (भ)

पटना, दिनांक- 29/11/17

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/17

सरकार के अवर सचिव।

28/11/17

C:\Users\hpp\Desktop\Alka Sinha 2016\Word file\Non G Adesh2.docx